"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल 2017 — चैत्र 22, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/रास/यू-11/1721. — छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) की धारा -9 (2) में निहित प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग में कुलपति के पद के लिए न्यूनतम पांच व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है :-

1.	श्री सरजियस मिंज, आई. ए. एस., सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, छ. ग. राज्य सूचना आयोग 9, मौलश्री विहार, पुरैना, रायपुर.	-	कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट
2.	डॉ. ए. के. मिश्रा, कुलपति, महाराष्ट्र एनीमल एण्ड फिशरीज यूनिवर्सिटी, नागपुर (महाराष्ट्र)	-	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट
3.	डॉ. पी. डी. जुयाल, कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)	-	कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट

2. श्री सरजियस मिंज, की अध्यक्षता में उक्त समिति कार्य करेगी.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, छ. ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.